

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

2022/249

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आर० की
जमाबन्दी सम्वत् २०२५ से २०२८ के खाता संख्या २६९, ६१२, ७१५
में जगदीश वि. शर्मा के बजाय जगदीश वि. शर्मा
शर्मा

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

12/03/2022

रिपोर्ट-पटवारी एवं मूअनि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम आर० के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् २०२५ से २०२८ के
खाता संख्या २६९, ६१२, ७१५ में प्रार्थी का नाम जगदीश वि. शर्मा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
अनुसंधान व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम जगदीश वि. शर्मा है। जो संशोधित किया
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

मूअनि

12/03/22

पटवारी

पटवारी व. म. अरवि चव्हाण

पटवारी व. म. अरवि चव्हाण

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा०भू०राज० अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
पर रिपोर्ट पटवारी अरवि चव्हाण व मूअनि अरवि चव्हाण एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
ग्राम आर० की जमाबन्दी सम्वत् २०२५ से २०२८ की खाता संख्या २६९, ६१२, ७१५ में प्रार्थी का
नाम जगदीश वि. शर्मा के बजाय जगदीश वि. शर्मा किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

तहसीलदार

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम आर० जमाबन्दी सम्वत् २०२५-२८ खाता
संख्या २६९, ६१२, ७१५ में दर्ज प्रार्थी का नाम जगदीश वि. शर्मा के स्थान पर जगदीश वि. शर्मा संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रमोद अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)